

भारतीय टन भार प्रमाण पत्र (एमएस अधिनियम) (ऑफ़लाइन)

1 .	रजिस्ट्री के अनंतिम/स्थायी प्रमाणपत्र की प्रति की स्कैन की गई प्रति।
2 .	मौजूदा जहाजों के मामले में मौजूदा टन भार प्रमाणपत्र की प्रति की स्कैन की गई प्रति।
3 .	यात्री जहाजों के मामले में डीजीएस द्वारा या नए बने मालवाहक जहाज के मामले में आरओ द्वारा विधिवत सत्यापित अंतिम टन भार गणना की स्कैन की गई प्रति।
4 .	मौजूदा मालवाहक जहाजों के लिए ध्वज या आरओ से पिछले स्वीकृत टन भार की मात्रा की स्कैन की गई प्रति ।
5 .	उस श्रेणी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति जिसके साथ जहाज को वर्गीकृत किया गया है।
6 .	1000 रुपये की भुगतान रसीद की स्कैन की गई प्रति जिसका भुगतान केवल भारतकोश के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना है।